न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामा जिला भरतपुर

व इजलाश श्री विनोद कुमार मीणा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 09/17

1–श्रीमती लच्छो देवी पत्नि स्व0 मदनलाल जाति कलार निवासी कामां तहसील कामां
2–गीता पत्नि श्री मुकुट बिहार पुत्री स्व0 मदनलाल
3–आशा पुत्री स्व0 मदनलाल
4–योगेश पुत्र स्व0 मदनलाल
5–राजरानी पुत्री स्व0 मदनलाल
6–देवीसिंह पुत्र स्व0 मदनलाल
7–नाहरसिंह पुत्र स्व0 मदनलाल
8–गौरी पुत्री स्व0 मदनलाल जाति कलार निवासी कामां तहसील कामां

प्रार्थीगण /प्रतिवादीगण

बनाम

1–रामस्वरूप पुत्र मंगतू जाति कलार निवासी कामां तहसीलदार कामां
1/1 चन्दा पत्नि रामस्वरूप (मृतक)
1/2 गोपाल पुत्र स्व0 रामस्वरूप
1/3 राधा पुत्री रामस्वरूप (मृतक)
1/4 केसर उर्फ कुसुम पुत्री रामस्वरूप
1/5 बीना देवी पत्नि रामस्वरूप
2–दुर्गा देवी पत्नि राजपाल
3–विनोद पुत्र रामपाल जाति कलार निवासी बहरामपुर (अहमदाबाद)

अप्रार्थीगण /वादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा0दी0वासिलसिले एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन नं0 3242/2000 राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.1.2017

उपस्थित अधिवक्ता
श्री बाबूलाल शर्मा प्रार्थीगण
श्री त्रिलोक चन्द सैनी अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः 01.03.2021

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा0दी0वासिलसिले एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन नं0 3242/2000 राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.1.2017 के संदर्भ में प्रस्तुत किया कि वादी/अप्रार्थी रामस्वरूप ने न्यायालय सहायक कलक्टर कामां की अदालत में एक राजस्व वाद संख्या 195/94 व उनवानी रामस्वरूप बनाम मदन बगैरा के नाम से बावत उदघोषणा धारा 88, 89, 88 आर.टी. एक्ट. के तहत पेश किया था जिसमें दौराने विचारण वादी रामस्वरूप की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण को वारिसान के रूप में पक्षकार मुकदमा समायोजित किया गया । उक्त वाद का निर्णय दिनांक 20.5.1995 को किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाकर आराजी ख0नं0 6544/3.09 स्थित कस्बा कामां नं0 3 के 1/3 हिस्से पर अप्रार्थीगण (वादीगण)व 1/3

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज0

Scanned with CamScanner

रसे पर अप्रार्थी सं0 2 व 3 (तरतीवी प्रतिवादी सं0 2 व 2) को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था । जिसका अमल राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल नं0 778 दिनांक 13.06.1995 को किया जाकर अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया । मु0 नं0 95/94 में पारित आदेश व डिक्री दिनांक 20.5.1995 की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, भरतपुर में की गयी । प्रार्थीगण की अपील दिनांक 7.01.1997 को स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर कामां के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.5.1995 को अपास्त कर दिया । दिनांक 7.01.1997 के निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण अपील अप्रार्थीगण /रेस्पोडन्ट ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में द्वितीय अपील डिक्री 21/97 भरतपुर में पेश की । जिसका निस्तारण करते हुए राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर" द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.04.2000 के तहत राजस्व अपील अधि0 भरतपुर के आदेश को अपास्त करने के आदेश पारित किये गये ।राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा द्वितीय अपील डिक्री 21/97 भरतपुर में पारित आदेश दिनांक 7.4.2000 के विरूद्ध प्रार्थीगण अपीलान्ट माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में एस0सिविल रिट पीटीशन सं0 3242/2000 लच्छो बगैरा बनाम बोर्ड आफ राज के नाम से प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 23.5.2002 को किया जाकर राजस्व मण्डल अजमेर का आदेश निरस्त कर प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश पारित किये गये । इस आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट /अप्रार्थीगण ने डी0बी0स्पेशल अपील रिट सं0 650/2002 लच्छो बनाम बोर्ड आफ रेवेन्यू पेश की जिसका निस्तारण दिनांक 04.9.2008 को राज0 उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा किया जाकर एस0बी0सिविल रिट 3242/2000 में पारित आदेश दिनांक 23.5.2002 को निरस्त करते हुये एकल पीठ द्वारा पुनः सुनवाई का निर्णय पारित करने के आदेश दिनांक 4.09.2008 को किये जिसकी पालना में उक्त रिट की पुनः सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश दिनांक 02.01.2017 को पारित करते हुए राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के आदेश को पुष्ट करते हुये अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट के वाद को ,खारिज कर दिया । माननीय उच्च न्यायालय पीठ द्वारा आदेश दिनांक 02.01.2017 का अन्तिम आदेश है । जो आज भी प्रभावी है तथा किसी अपर न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया गया है । और ना ही उक्त आदेश पर कोइ स्थगन है । अप्रार्थीगण/वादीगण/रेपोडेन्ट द्वारा सहायक कलक्टर कामां द्वारा वाद संख्या 195/94 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.5.1995 की पालना में इजरय कार्यवाही प्रसारित कराते हुए राजस्व रिकार्ड में 1/3 1/3 विवादित जायजाद पर नाम प्रतिवादी मदनलाल /प्रार्थीगण के पिता का नाम कलमजन कराकर 1/3 हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 1.1 लगायत 1.5 व 1/3 हिस्से पर अप्रार्थी सं0 2 व 3 का नाम इन्द्राज दाखिली खारिज संख्या 778 के माध्यम से करा लिया उक्त अंकन की प्रविष्टि दिनांक 13.06.95 को दर्ज कर दी गई जो आज भी लगातार जारी है । जबकि अप्रार्थीगण /रेपोडेन्ट/वादीगण का वाद एस0बी0सिविल रिट पिटीशन संख्या 3242/2000 में पारित आदेश दिनांक 02.1.2017 के अनुसार खारिज किया जा चुका है । इस कारण वाद संख्या195/94 की डिक्री आदेश से पूर्व की राजस्व प्रविष्टिब्यों को पूर्ववत स्थिति में किया जाना न्याय हित में आवश्यक है । अतःखसरा नम्बर 6544 तीन बीघा 9 विस्वा पर 1/3 , 1/3 हिस्से पर अप्रार्थीगण 1.1 लगायात 1.5 व 1/3 हिस्से पर अप्रार्थी सं0 2 व 3 के नाम किये खातेदारी के इन्द्राज को माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा एस0बी0सिविल टिर पिटी0नं03242/2000 के निर्णय दिनांक 02.01.2017 की पालना में पूर्ववत स्थिति में कराया जाकर सम्पूर्ण रकवा पर प्रार्थीगण का नाम का अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये । जबाव पेश किया कि प्रार्थना पत्र धारा 141 जा0दी0 का दिनांक 15.2.2017 को माननीय न्यायालय में इस आश्य का पेश किया गया था कि वाद सं0 195/94 सहायक कलक्टर कामां के निर्णय दिनांक 20.05.1995 के आधार पर नामान्तरण

Scanned with CamScanner

ख्या 778 कस्बा कामां नं0 3 तहसील के सम्बन्ध में आराजी मुत0 खसरा नम्बर 6544 तीन
ीघा 9 विस्वा पर 1/3 हिस्से पर अप्रार्थीगण 1.1 लगा0 1.5 व 1/3 हिस्से पर अप्रार्थी
संख्या 2 व 3 के नाम किये खातेदार के इन्द्राज को माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ
द्वारा एस0बी0सिविलि रिट पिटीशन 3242/2000 के निर्णय दिनांक 02.1.2017 की पालना में
पूर्ववत स्थिति में कराया जाकर सम्पूर्ण रकवा पर प्रार्थीगण का नाम अंकन किये जाने के
आदेश फरमाये जावे । उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 22.03.2017 को माननीय न्यायालय के द्वारा
इस आदेश के साथ खारिज कर दिया कि पत्रावली अदम हाजिरी व पैरवी में खारिज कर दी
गई है । इस तथ्यों के आधार पर हीप्रार्थीगण द्वारा उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया
है जो कि विधि के सिद्धातों के विपरीत है । प्रार्थीगण को पूर्व में खारिज प्रार्थना पत्र ही विधि
के सिद्धान्तों के तहत नम्बर पर लेना चाहिये था । जो क प्रार्थीगण द्वारा नहीं लिया गया एवं
प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में पेश किये गये प्रार्थना पत्र के बावत माननीय न्यायालय से पूरी तरह से
छिपाया गया है । प्रार्थीगण शुद्ध हाथों से न्यायालय श्रीमान जी के यहां नहीं आये । इस
कारण प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया । प्रार्थना पत्र विधिके सिद्धान्तों के विपरीत होने के
कारण व सारहीन व काबिले खारिज है । आराजी मुतदाविया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय
में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.08.2018 के तहत एक दावा विनोद कुमार
वगैरा बनाम लच्छो देवी वगै0 के उनवान से अन्तर्गत धारा 88 89 188 आर0टी0एक्ट के तहत
विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख नियत है । इस कारण भी प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना
पत्र का औचित्य नहीं रह जाता है । उक्त आराजी मुंत0 के सबंध में जब तक प्रकरण सब
रेस ज्यूडिस है तब तक इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है । प्रार्थना पत्र काबिले
खारिजी है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना को साबित करने के लिए नकल जमाबन्दी
सं02051–54, नकल जमाबन्दी 2067–2070 कस्बा कामां नं 3 दाखिल खारिज नं0 778, डिक्री
व आदेश सहायक कलक्टर कामां/एस0डी0कामां दिनांक 20.5.1995, डिक्री आदेश आर0ए0ए0,
दिनांक 7.1.1997, एस0बी0सिविल रिट पिटीशन हाई कोर्ट दिनांक 23.5.2002,आदेश
एस0बी0सिविल रिट पिटीशन 650/2002, आदेश रिट पिटीशन नं0 3242/2000 आदेश
दिनांक 02.1.2017, अप्रार्थीगण की ओर अपने जबाव को साबित करने के लिए माननीय उच्च
न्यायालय जयपुर स्पेशल अपील सं0 128/2018 दिनांक 16.08.2018 पेश किये हैं ।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा
प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय
दिनांक 02.01.2017 की पालना में प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी के वाद संख्या
195/94 के निर्णय दिनांक 20.5.1995 की पालना के पूर्व की स्थिति कायम की जावे ।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी द्वारा समान प्रार्थना पत्र
पूर्व में भी पेश किया गया था जो कि अदम पैरवी में न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया था ।
अतः पुनःप्रार्थी को नया प्रार्थना लाने का अधिकार नहीं है । साथ ही विवादित आराजी बावत
इस न्यायालय में एक वाद विचाराधीन है । प्रार्थी माननीय उच्च न्यायलय के निर्णय के आधार
पर विवादित भूमि के पूर्व रिकार्ड को कायम करवाना चाहता है । उसमें वाद माननीय उच्च
न्यायालय द्वारा एक आदेश दिनाक 16.8.2018 को दिया गया है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र
पोषनीय नहीं होने के कारण खारिज किया जावे ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के जबाव प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्य व उभयपक्ष
की बहस के अवलोकन व मनन के पश्चात निष्कर्ष यह है कि विवादित आराजी के बावत
न्यायालय सहायक कलक्टर कामां के द्वारा वाद संख्या 195/94 में पारित निर्णय दिनांक 20.
5.1995 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन संख्या 3242/2000 के निर्णय

Scanned with CamScanner

ांक 02.1.2017 के माध्यम से निरस्त किया जा चुका है । अतः विवादित आराजी के रिकार्ड सहायक कलक्टर कामां के निर्णय की पालना में खोले गये नामान्तकरण सख्या 778 के की स्थिति कायम किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः तहसीलदार कामां को आदेश दिया जाता है यदि किसी अन्य न्यायालय के परीत निर्णय अथवा स्थगन नहीं हो तो विवादित भूमि की रिकार्ड की नामान्तरण संख्या 778 स्वा कामां नं0 3 के पूर्व की स्थिति कायम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2021 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया । त्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

(विनोद कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)

Scanned with CamScanner